न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :–106/2021

फूलचंद बनाम छीतरमल वगै0

दावा बाबत, दुरूस्ती खातेदारी इन्द्राज घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सी.पी.सी

उपस्थितिः–
1. श्री रामगोपाल कुमावत, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री टी.एम. वर्मा, वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 10/2/2023

वादीगण की ओर प्रस्तुत वाद पत्र में उनवानी प्रकरण में वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो न्यायालय श्रीमान द्वारा पूर्व में उनवानी फूलचंद बनाम छीतर वगै0' मु0नं. 13/2017 है में दिनांक 19.06.2017 को प्रतिवादीगणों को दैव–सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण र्व के सिद्वांत से संबंधित होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है।उक्त विवादित प्रकरण में वादी प्रतिवादीगण पूर्व में उक्त विवाधक पर ही निर्णय किया जा चुका है। ऐसी सूरत में उक्त करण चलने योग्य होकर खारिज किये जाने योग्य है।वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर ननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की भूमि हडप करने एवं नाजायज रूप से परेशान रने की नीयत से दावा पेश किया गया है जबकि पूर्व वाद में न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त वाधक का वादी द्वारा नियमानुसार सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश पारित किया गया था सकी पालना वादी द्वारा आज तक नहीं की है । इस प्रकार वादी ने तथ्य छुपाने का गंभीर पराध कारित किये जाने के कारण वाद पक्ष इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य हैं द पत्र को पूर्व न्याय के सिद्वांत से प्रभावित होने से इसी स्टे पर खारिज किया जाना ायनुमत एवं न्यायसंगत है।अन्य वजुआत न्यायालय के समक्ष जुबानी अर्ज किये जायेंगे। न्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र स्वीकार रमाया जाकर वादी का वादपत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान रें।

वकील वादी की ओर से पेश जवाब अनुसर प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 01 जिस कार जाहिर किया गया है अस्वीकार है वादी को अधिकार है कि वह नई घटना के संबंध में भी भी स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है प्रार्थना पत्र में अंकित अलग टना है तथा प्रस्तुत वाद पत्र में अलग घटना है, इसलिए प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित ों होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण/वादीगण ओर से अन्य बिन्दुओं का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना में वर्णित दु सं0 02 वादी ने अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन जा करने व पुख्ता निर्माण करने पर आमादा होने पर वादपत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थना पत्र में र्गत सभी तथ्य मनगढत एवं गलत है तथा शेष बिन्दु में जिस प्रकार से जारि किया है गलत ों से अस्वीकार है।

वकील अभय पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद पत्र रिज किये जाने का निवेदन किया ।वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में अपने ाब प्रार्थना पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कर प्रार्थी का/प्रार्थना पत्र नांमजूर किये जाने का वेदन किया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि. जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि विवादित प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व में उनवानी ' फूलचंद बनाम छीतर वगै0' मु0नं. 13/2017 है में दिनांक 19.06.2017 को प्रतिवादीगणों को सदैव–सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण पूर्व के सिद्वांत से संबंधित होने के कारण वेधि द्वारा वर्जित है, तथा अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि का आदिनांक तक सीमाज्ञान नहीं करवाया है। प्रश्नागत प्रकरण भी स्थायी निषेधाज्ञा का ही विचाराधीन है। जहॉ तक आदेश 7 नेयम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का ावधान है:–

(क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया। (ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा या है। (घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है। (च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु ((घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है। प्रश्नागत आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में विधिवत वादक बिन्दु कायम कर आदेश पारीत होने के बाद पुनः प्रश्नागत आराजी के सम्बन्ध में वाद ी पेश किया जाना विधि से वर्जित होना साबित होता है । इस प्रकार र्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 पीसी का स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार कर ार्थीगण/वादीगण का वाद विधि से बाधित होने से नामन्जूर कर खारिज किया जाता है। ी खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार कर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :–106/2021

फूलचंद बनाम छीतरमल वगै0

दावा बाबत, दुरूस्ती खातेदारी इन्द्राज घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सी.पी.सी

उपस्थितिः–
1. श्री रामगोपाल कुमावत, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री टी.एम. वर्मा, वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 10/2/2023

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार कर प्रार्थीगण/वादीगण का वाद विधि से बाधित होने से नामन्जूर कर खारिज किया जाता है। र्जा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 10/2/23 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

द के खर्चे

दी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प ..... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
ड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner